न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 08/2019

प्रार्थी

1. श्री रतनसिंह पुत्र श्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोनाई मांझी तहसील व जिला पाली।

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. श्री केसरसिंह पुत्र श्री रावतसिंह
2. श्री रूपा पुत्र श्री जस्सा माली
3. श्री धन्ना पुत्र श्री उमा कलाल तमाम निवासीगण सोनाई मांझी, तहसील व जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री मो. शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री श्रवणसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:आदेशः– दिनांक - 21-10-2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम सोनाई मांझी के खसरा नंबर 454 व 454/8 रकबा 33 बीघा 08 विस्वा कृषि भूमि चाही सोयम भूमि है। इसमे आवेदक रतनसिंह का 1/2 हिस्सा स्थित है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 454 व 454/8 रकबा 33 बीघा 08 विस्वा की भूमि में राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम सोनाई मांझी के खसरा नंबर 452/3 जो आवेदक के उत्तर के तरफ है व अप्रार्थीगण के द्वारा स्वयं की खातेदारी से रास्ता निकाला है जो रास्ता संख्या 452/1, 452/2 व 454 के पश्चिम की तरफ है व मुख्य सड़क से 452/3 गैर मुमकीन रास्ता जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 452/3 गैर मुमकीन रास्ता जो प्रस्तुत नजरी नक्शे ए से बी है जो अप्रार्थीगण के खाते मे दर्ज है। इसके राजकीय खाते मे दर्ज करने व सी से डी भाग प्रस्तुत नजरी नक्शे मे रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी किया गया तथा आवेदित भूमि में संबन्ध में तहसीलदार, पाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच तहसीलदार पाली के पत्रांक राजस्व/2019/2014 दिनांक 05.03.19 पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी रतनसिह पुत्र श्री विजयसिंह वगैरह खातेदारी खसरा नम्बर 454,454/8 रकबा 10.10 व 22.18 बीघा भूमि है एवं प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 452 व 454/2 खातेदारी भूमि घना पुत्र श्री उमा कलाल की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी रतनसिंह पुत्र श्री केसरसिंह मौके पर खसरा नम्बरा 449 गैर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

मुमकिन नदी मे से माट पर से आता जाना हो रहा है एवं अब नजदीक से डामर सड़क खसरा नम्बर 449 की ओर से खसरा नम्बर 454/2 मे से रास्ते की मांग कर रहा है। मौके पर खसरा नम्बर 452/3 रकबा 1.00 बीघा गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी मे दर्ज है। मौके पर खातेदार रतनसिंह के खेत के पास नदी खसरा नम्बर 449 मे से होकर आना जाना हो रहा है एवं मौके पर रास्ता बना हुआ है जो हमेशा उसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। मौके पर खातेदार डामर सड़क से रास्ते की मांग की जा रही है। जो नजदीक मे है एवं बरसात के दिनों मे नदी आने पर रास्ता अवरूद्ध होता है। मौके पर खातेदार की कृषि भूमि पर काश्त होती है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग हो रहा है। मौके पर खसरा नम्बर 454/2 मे रास्ता की मांग अनुसार 38 गट्टा लम्बाई व 15 फीट चौड़ाई अनुसार कुल रास्ता की मांग 0.05 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। जो खसरा नम्बर 454/2 मे से होगा। डी एल सी दर 44,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 0.05 बीघा भूमि की किमत 22,000/– रूपये राशि बनती है। मौके पर कोई पक्का निर्माण एवं पेड़ इत्यादि नही है। मौके पर खसरा नम्बर 449 नदी मे से आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 454 एवं 454/8 मे पहुचने के लिए पूर्व से खसरा नम्बर 449 के किनारे पर होते हुए आने जाने का रास्ता प्रारम्भ से बरसो बरस से स्थित है जिसका उपयोग व उपभोग प्रारम्भ से ही करते आ रहे है। आवेदक ने उक्त तथ्य छुपाते हुए श्रीमान के न्यायालय को गुमराह करते हुए बदनियतिपूर्वक अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 452/3 मे से नये रास्ते की अपनी जोत मे जाने के लिये सुविधा मात्र के उपयोग एवं अपनी कृषि भूमि की कीमत को बढ़ाने की नियम से मांग की गई जो कि गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर की गई है जबकि पूर्व से आवेदक के कृषि भूमि मे जाने का रास्ता खसरा नम्बर 449 गैर मुमकीन नदी के किनारे पर अन्य खातेदार खसरा नम्बर 454/1,454/3 की माठ के सहारे सहारे होते हुए मुख्य सड़क सोनाई मांजी से बुधवाड़ा, केनपुरा, वडेरवास होते हुए खैरवा जाने की सड़क पर खुलता है। जो सड़क प्रस्तावित डामर सड़क है तथा मुख्य सड़क है तथा इसी रास्ते का उपयोग उपभोग आवेदक द्वारा बरसो बरस से किया जा रहा है तथा उसके पूर्वज भी इसी रास्ते से आते जाते थे धीरे धीरे आवेदक रतनसिंह व उसके भाई के पूर्वजों द्वारा अपनी इसी भुमि के खसरा नम्बर 454/1, 454/13, 454/7, 454/3, 454/6, 454/7 के खसरो को अन्य खातेदारो को बेचाण कर दिया एवं उक्त खातेदार भी इसी रास्ते से आते जाते है तथा वर्तमान मे आवेदक द्वारा नये रास्ते की मांग की गई है जो आवेदक की बदनियति को दर्शाती हैं। श्रीमान के एवं तहसीलदार साहब के आदेशुसार आई.एल.आर. गुन्दोज द्वारा की गई मौका जांच रिपोर्ट एवं मौका फर्द का अवलोकन करने से ही स्पष्ट है कि जो खसरा नम्बर 459 रास्ता बताया गया है व सोनाई मांझी खैरवा की मुख्य सड़क है जो प्रस्तावित डामर सड़क है

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

तथा इसी सड़क पर से खसरा नम्बर 449 पर होते हुए खसरा नम्बर 454/3, 454/1 के सहारे सहारे आवेदक के कृषि भूमि तक जाने का रास्त दर्शाया गया है तथा जो मौके पर भी रास्ता है जिसकी सी.डी. भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की जा रही है तथा खसरा नम्बर 454/3 व 454/1 के खातेदार एवं आवेदक अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए उक्त रास्ता का उपयोग प्रारम्भ से ही करते आ रहे है अतः पूर्व मे ही आवेदक की कृषि भूमि पर जाने के लिए सीधा, नजदीक एवं सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध है मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए बदनियतिपूर्वक उक्त रास्ते की मांग की गई है जबकि प्रारम्भ से आवेदक व उसके पड़ौसी खातेदार खसरा नम्बर 454/1,454/3,454/6,454/7 खातेदार खसरा नम्बर 449 मे उपलब्ध मार्ग मे आ जा रहे है इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 454 व 454/8 रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा की भूमि में राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम सोनाई मांझी के खसरा नंबर 452/3 मे से रास्ता दिलावें। तहसीलदार पाली/आर.आई द्वारा की गई जांच सही नहीं है। क्योकि खसरा नबंर 449 नदी है जिसमे से रास्ता नही दिया जा सकता। प्रार्थी द्वारा नदी का रास्ता उपयोग नही किया जा रहा हैं खेत पर जाने आने हेतू खसरा नम्बर 449 नदी है और इसके अलावा कोई और खसरे का रास्ता नहीं हैं। और खसरा नम्बर 449 मे एक कुआ है। इस खसरा मे से रास्ता नही दिया जा सकता है। नदी और कुए मे से रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नंबर 452/2 मेरी जमीन है जो नही दिखाया है। खसरा नम्बर 449 मे रास्ता है पर यह कदमी है जो नदी मे से है। प्रार्थी द्वारा पुरी जमीन को डामर कर के अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाना चाहते है। जबकि पूर्व से प्रार्थी के कृषि भूमि मे जाने का रास्ता खसरा नम्बर 449 गैर मुमकीन नदी के किनारे पर अन्य खातेदार खसरा नम्बर 454/1, 454/3 की माठ के सहारे सहारे होते हुए मुख्य सड़क सोनाई मांजी से बुधवाड़ा, केनपुरा, वडेरवास होते हुए खैरवा जाने की सड़क पर खुलता है।

6. बहस उभयपक्ष और पत्रावली पर उपलब्ध कराये गए अभिलेख पर मनन करने बाद तथा रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि प्रार्थी के पास पहले से ही खसरा नम्बर 449 से हो कर रास्ता है। जिसका वह वर्तमान मे उपयोग कर रहा है। इसलिये नया रास्ता देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

251ए आर.टी.एक्ट, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner